[2019] 10 एस. सी. आर. 875

पी. रमेश

बनाम

पुलिस निरीक्षक प्रतिनिधि (राज्य)

(2019 की आपराधिक अपील No.1013)

09 जुलाई, 2019

[न्यायमूर्तिगण डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – s.118–बाल गवाह की योग्यता अपीलार्थी पर उसकी पत्नी की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया था–द्वारा दोषी ठहराया गया अपराधों के लिए सत्र न्यायाधीश यू/एस. एस. 302 , 498 ए–मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4, अपीलार्थी और मृतक के बच्चों के साक्ष्य को पेश करने की मांग की–जब उनका साक्ष्य दर्ज किया जाना था, पीडब्लू–3 आठ साल का था जबकि पीडब्लू–4 छह साल का था–परीक्षण न्यायाधीश ने उन्हें यह आकलन करने के लिए कुछ प्रारंभिक प्रश्न पूछे कि क्या वे साक्ष्य में गवाही देने में सक्षम थे और निष्कर्ष निकाला कि उनकी गवाही दर्ज नहीं की जा सकती क्योंकि वे सक्षम गवाह नहीं थे–उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। निचली अदालत का निर्णय और पी. डब्ल्यू.–3 और पी. डब्ल्यू.–4 की गवाही देने की उनकी क्षमता का निष्पक्ष रूप से पता लगाने के बाद उनकी जांच करने के निर्देश के साथ मामले को निचली अदालत में भेज दिया–अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः जिस प्रश्न ने विचारण न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुँचाया किपीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 गवाही देने में असमर्थ थे कि क्या बच्चे उस व्यक्ति को जानते थे जिसके सामने वे खड़े थे–इन प्रश्नों के लिए, पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 ने कहा कि वे उस व्यक्ति से अनजान थे – विशुद्ध रूप से इस आधार पर विचारण न्यायाधीश ने पाया कि बाल गवाहों की गवाही इस आधार पर अस्वीकार्य होगी किगवाह न्यायाधीश और वकीलों को नहीं जानते थे–पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 के साक्ष्य को दर्ज होने से रोकने में ट्रायल जज के साथ वजन करने का कारण स्पष्ट रूप से गलत था और इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी–महत्वपूर्ण बात यह है कि पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 दोनों अदालत में अपनी उपस्थिति के कारण से अवगत थे–कम उम्र के बच्चे को गवाही देने की अनुमति दी जा सकती है यदि उसके पास प्रश्नों को समझने और तर्कसंगत देने की बौद्धिक क्षमता है इसका जवाब–एक बच्चा केवल तभी अक्षम हो जाता है जब अदालत का मानना है कि बच्चा प्रश्नों को समझने और उनका सुसंगत और समझने योग्य तरीके से उत्तर देने में असमर्थ था–यदि बच्चा अपने सामने रखे गए प्रश्नों को समझता है और उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देता है, यह माना जा सकता है कि वह जाँच के लिए एक सक्षम गवाह है–वे आधार जो परीक्षण के साथ वजन करते हैंन्यायाधीश गलत थे–दंड संहिता, 1860–एस. एस. 302 , 498 ए–शपथ अधिनियम, 1969 एस। 4

.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एस. 374 – अपीलीय क्षेत्राधिकार–उच्च न्यायालय की शक्ति–पर चर्चा की गई।

अपीलार्थी पर उसकी पत्नी की हत्या का मुकदमा चलाया गया था। उन्हें सत्र न्यायाधीश ने धारा 302, 498 ए, आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया था।मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4, अपीलार्थी के बच्चों और मृतक के साक्ष्य को प्रस्तुत करने की मांग की। जब उनका सबूत होना था आकलन करें कि क्या वे साक्ष्य में गवाही देने में सक्षम थे और निष्कर्ष निकाला कि उनकी गवाही दर्ज नहीं की जा सकी क्योंकि वे पीडब्लू–3 आठ साल का था जबकि पीडब्लू–4 छह साल का था वे सक्षम गवाह नहीं थे। उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी ट्रायल कोर्ट का फैसला और पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 की जांच करने के निर्देश के साथ मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। इसलिए, वर्तमान अपील।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने–

अभिनिर्धारित किया: 1.1 वह प्रश्न जो विचारण न्यायालय के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचने में भारी था कि वे दोनों असमर्थ थे बयान देना यह था कि क्या बच्चे उस व्यक्ति को जानते थे जो वे सामने खड़े हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में, पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 ने कहा कि वे उस व्यक्ति से अनजान थे। विशुद्ध रूप से इस आधार पर विचारण न्यायाधीश ने पाया कि बाल गवाहों की गवाही इस आधार पर अस्वीकार्य होगी कि गवाहों को इसकी जानकारी नहीं थी न्यायाधीश और वकील। पी. डब्ल्यू.–3 और पी. डब्ल्यू.–4 के साक्ष्य को दर्ज होने से रोकने में ट्रायल जज के साथ जिस कारण का वजन था, वह स्पष्ट रूप से गलत था और इसके परिणामस्वरूप एक न्याय की विफलता। उल्लेखनीय है कि पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 दोनों अदालत में अपनी उपस्थिति के कारण से अवगत थे। उन्होंने विचारण न्यायाधीश के समक्ष कहा कि वे उनकी माँ की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों के संबंध में साक्ष्य देने के लिए अदालत में थे। ट्रायल जज को क्या निर्धारित करने की आवश्यकता थी क्या बच्चे साक्ष्य देने के लिए स्वस्थ और सक्षम मानसिक स्थिति में थे और इस अवसर पर उपस्थित होने के उद्देश्य को समझने में सक्षम हों। बाल गवाह के साक्ष्य को दर्ज करने से पहले, विचारण न्यायालय को तर्कसंगत उत्तर प्रदान करने के लिए बाल गवाह की क्षमता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक प्रश्न पूछने का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास अदालत को यह निर्धारित करने की अनुमति देगा कि क्या बच्चे में अपराध की घटनाओं को याद करने और वर्णन करने के लिए बौद्धिक और संज्ञानात्मक कौशल हैं। [पारस 11, 12] [884–जी–एच; 885–ए–सी]

1.2 साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 किसी व्यक्ति की अदालत के समक्ष गवाही देने की क्षमता से संबंधित है। शपथ अधिनियम 1969 की धारा 4 में सभी गवाहों को शपथ लेने की आवश्यकता है या बारह वर्ष से कम आयु का गवाह एक सक्षम गवाह है, ऐसे गवाह से बिना शपथ या पुष्टि के पूछताछ की जा सकती है। एक बच्चे को पहले एक सक्षम गवाह होना चाहिए, तभी उसका बयान स्वीकार्य है। योग्यता निर्धारित करने के लिए एक बाल गवाह, न्यायाधीश को उसकी या उसकी राय बनानी होती है। न्यायाधीश को बाल गवाह की क्षमता का परीक्षण करने की स्वतंत्रता है और इसकी डिग्री

के संबंध में कोई सटीक नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बुद्धि और ज्ञान जो बच्चे को एक सक्षम गवाह। एक बाल गवाह की क्षमता का पता उसे पूछताछ करके लगाया जा सकता है ताकि वह घटना को समझने और अदालत के समक्ष सच बोलने की क्षमता का पता लगा सके। आपराधिक कार्यवाही में, किसी भी उम्र का व्यक्ति साक्ष्य देने में सक्षम है यदि वह (i) गवाह के रूप में रखे गए प्रश्न; समझने में सक्षम है।और (ii) उन प्रश्नों के ऐसे उत्तर दें जिन्हें समझा जा सके। कम उम्र के बच्चे को गवाही देने की अनुमति दी जा सकती है यदि उसके पास प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने की बौद्धिक क्षमता है। एक बच्चा केवल तभी अक्षम हो जाता है जब अदालत मानती है कि बच्चा प्रश्नों को समझने और उन्हें सुसंगत और समझने योग्य तरीके से उत्तर देने में असमर्थ था। यदि बच्चा अपने सामने रखे गए प्रश्नों को समझता है और उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देता है, तो यह माना जा सकता है कि वह जाँच के लिए एक सक्षम गवाह है। जिन आधारों को विद्वत विचारण न्यायाधीश ने महत्व दिया, वे गलत थे। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित था कि पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 की गवाही विचारण न्यायाधीश की ओर से स्पष्ट रूप से गलत दृष्टिकोण के कारण थी। [पारस 13–16] [885–D; 886–A–B, E; 887–F–G; 888–A–B]

1.3 सी. आर. पी. सी. की धारा 374 के खिलाफ अपील का प्रावधान है दोषसिद्धि और सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने की अनुमति देता है। सी. आर. पी. सी. की धारा 386 दोषसिद्धि या बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील का निपटारा करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों को परिभाषित करती है। इस धारा के तहत शक्ति असीमित नहीं है। प्रावधान को केवल वही करने की शक्ति देने के रूप में लिया जाना चाहिए जो निचली अदालत किसी आपराधिक मामले में कर सकती थी और जिसे करना चाहिए था। [पैरा 17] [888–डी; 889–ए]

1.4 वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने माना और अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दोनों बाल गवाहों की क्षमता का निष्पक्ष रूप से आकलन करने और यदि साक्ष्य दर्ज किया जाता है, तो अभियुक्त को खंडन में साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करने के लिए कार्यवाही को वापस विचारण न्यायालय को भेज दिया। अभियुक्तों को उनसे जिरह करने का भी अधिकार होगा। इस तथ्य के संबंध में कि कुछ समय बीत गया है, अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों पर उचित ध्यान दिया गया है। आज की तारीख में, हालांकि ट्रायल जज द्वारा उनके साक्ष्य को हटाए जाने के बाद से चार साल से थोड़ा अधिक समय बीत चुका है, दोनों गवाह अभी भी नाबालिग हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने परीक्षण न्यायाधीश को अपने साक्ष्य दर्ज करने से पहले दो बाल गवाहों की क्षमता का निष्पक्ष रूप से आकलन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। ट्रायल जज के लिए यह सुनिश्चित करना उचित होगा कि पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 के साक्ष्य को बच्चों के अनुकूल वातावरण में दर्ज किया जाए। अपीलार्थी को निस्संदेह अधिकार होगा – मुकदमों के न्यायाधीश द्वारा गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद उनसे जिरह करें। [पारस 20–22] [892–F–H; 893–A–B]

दत्तू रामराव साखरे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1997) 5 एस. सी. सी. 341; रतनसिंह दलसुखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य (2004) 1 एस. सी. सी. 64: [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 1030; मोहम्मद हुसैन बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) (2012) 9 एस. सी. सी. 408 [2012] 10 एस. सी. आर. 480; अजय कुमार घोषाल बनाम बिहार राज्य (2017) 12 एस. सी. सी. 699: [2017] 1 एस. सी. आर. 469; आत्मा राम और अन्य। बनाम राजस्थान राज्य 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी 523; महाराष्ट्र राज्य बनाम बंदू उर्फ दौलत (2018) 11 एससीसी 163–पर भरोसा किया गया।

निवृति पांडुरंग कोकाटे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 12 एससीसी 565: [2008] 3 एस. सी. आर. 44–संदर्भित।

सरकार, "लॉ ऑफ एविडेंस" 19 वां संस्करण, खंड 2, लेक्सिस नेक्सिस, पी। 2678 डी. पी. पी. बनाम एम. (1977) 2 ऑल ई. आर. 749 (क्यू. बी. डी.) का हवाला देते हुए–संदर्भित।

व्हीलर बनाम संयुक्त राज्य 159 यू. एस. 523 (1895) संदर्भित किया गया।

<u>संदर्भित निर्णय</u>

(1997) 5 एस. सी. सी. 341 उस पर भरोसा करें	पैरा 13
[2003] 4 पूरक। एससीआर 10 उस पर भरोसा करें	पैरा 14
[2008] 3 एससीआर 44 संदर्भित किया गया है	पैरा 14
[2012] 10 एससीआर 480 उस पर भरोसा करें	पैरा 18
[2017] 1 एससीआर 469 उस पर भरोसा करें	पैरा 18
(2018) 11 एससीसी 163 उस पर भरोसा करें	पैरा 21

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक क 1013 का् 2019

मद्रास उच्च न्यायालय की आपराधिक अपील (एम. डी.) संख्या 351 में मद्रास उच्च न्यायालय के एम. ए. एच. के दिनांकित 27.03.2018 के निर्णय और आदेश से

ए. सेल्विन राजा, अनिरुद्ध पी. मयी, राजिंदर सिंह, अधिवक्ता अपीलाथी की ओर से उप।

एम. योगेश कन्ना, एस. पार्थ सारथी, एस. राजा राजेशवरन, उत्तरदाताकी ओर से उप।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति **डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़**

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील 27 मार्च 20 के मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै पीठ के एक फैसले से उत्पन्न होती है।

3. अपीलार्थी पर उसकी पत्नी की हत्या का मुकदमा चलाया गया था। इसके अलावा उन पर भारतीय दंड संहिता[1] की धारा 302, 498 ए के तहत अपराध करने के लिए भी मुकदमा चलाया गया था। 24 जून 2016 को, अपीलार्थी को श्रीविल्लिपुत्तूर में फास्ट ट्रैक महिला अदालत, विरुधुनगर जिले के सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 302 और धारा 498 ए के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजाऔर धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए तीन साल के कारावास सजा सुनाई गई थी।

4. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने पेश करने की मांग की पीडब्लू–3 'एस' और पीडब्लू–4 'एच' का साक्ष्य, अपीलार्थी के बच्चे और मृतक[2] 19 मई 2015 को जब उनका सबूत होना था दर्ज है कि पीडब्लू–3 आठ साल का था जबकि पीडब्लू–4 छह साल का था। विचारण न्यायाधीश ने दोनों गवाहों से मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रारंभिक प्रश्न पूछे। क्या वे साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम थे। पूछे गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या वे उस व्यक्ति के बारे में जानते थे जिसके सामने वे खड़े थे। दोनों गवाहों ने कहा कि वे उस व्यक्ति से अनजान थे जिसके सामने वे अदालत में खड़े थे। उसी समय, बाल गवाहों ने कहा था कि वे अपनी माँ की मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य देने आए थे।

5. विचारण न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पीडब्लू–3 को एक गवाह के रूप में दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि पीडब्लू–3 न्यायाधीश और वकीलों को नहीं जानता था। इसी तरह, पीडब्लू–4 के संबंध में विचारण न्यायाधीश ने कहा कि वह यह बताने में असमर्थ था कि न्यायाधीश कौन था। नतीजतन, वह था साक्ष्य में गवाही देने में असमर्थ माना जाता है। पीडब्लू 3 और पीडब्लू–4 का कोई प्रमाण दर्ज नहीं किया गया था।

6. विद्वत विचारण न्यायाधीश और पीडब्लू–3 और पी. डब्ल्यू.–4, के बीच हुआ आदान–प्रदान क्रमशः

" नाम– 'एस' पिता का नाम – रमेश

गाँवःविरुधुनगर तालुकः विरुधुनगर

कास्टः बी सी कॉल करनाः

धर्मः हिंदू आयुः 8

---

1 आई. पी. सी.

2 इस फैसले में नाबालिग बच्चों की पहचान को रोक दिया गया है।

सत्यनिष्ठा से अधिनियम 10, 1873 के प्रावधानों के अनुसार पुष्टि की गईः 19.05.2015

प्रश्नः तेरा नाम क्या है?

जवाबः ' एस '

प्रश्नः आपकी उम्र क्या है?

जवाबः 08–15

प्रश्नः तुम्हारे पिता का नाम क्या है?

जवाब रमेश ।

प्रश्नः आपके गाँव का नाम क्या है?

जवाबः चिन्ना पेराली

प्रश्नः आप क्या कर रहे हैं?

जवाबः मैं पढ़ाई कर रहा हूँ।

प्रश्नः क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ आए हैं?

जवाबः अदालत

प्रश्नः क्या आप जानते हैं कि आपको क्यों लाया जा रहा है?

जवाबः सबूत देने के लिए

प्रश्नः क्या आप जानते हैं कि आप किसके सामने खड़े हैं?

जवाबः पता नहीं चलता।

भले ही गवाह ने सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन मैंने उससे पूछा कि तुम सबूत पेश करने क्यों आई हो और उसने जवाब दिया कि मैं अपनी माँ की मृत्यु के बारे में गवाही देने आई हूँ। आगे जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि अदालत में मेरे सामने कौन खड़ा है और मेरे अलावा कौन लोग हैं। अदालत का मानना है कि गवाह की गवाही अस्वीकार्य है क्योंकि गवाह न्यायाधीश और वकीलों को नहीं जानता है। (sic)

और

" नाम– 'एच' पिता का नाम – रमेश

गाँवःविरुधुनगर तालुकः विरुधुनगर

कास्टः बी सी कॉल करनाः

धर्मः हिंदू आयुः 6

सत्यनिष्ठा से अधिनियम 10, 1873 के प्रावधानों के अनुसार पुष्टि की गईः 19.05.2015

प्रश्नः तेरा नाम क्या है?

जवाबः ' एच '

प्रश्नः आपकी उम्र क्या है?

जवाबः 06–15

प्रश्नः तुम्हारे पिता का नाम क्या है?

जवाब रमेश ।

प्रश्नः आपके गाँव का नाम क्या है?

जवाबः पेराली

प्रश्नः आप क्या कर रहे हैं?

जवाबः मैं कक्षा 1 पढ़ाई कर रहा हूँ।

प्रश्नः क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ आए हैं?

जवाबः मुझे पता नहीं मे कहा आया हूँ ।

प्रश्नः क्या आप जानते हैं कि आपको क्यों लाया जा रहा है?

जवाबः मै मॉ की हत्या के संबंध में बताने आया हूँ ।

प्रश्नः क्या आप जानते हैं कि आप किसके सामने खड़े हैं?

जवाबः कहा कि वह गवाही देने आपके सामने आया है, साक्षी ने पूछा गया कि मै कौन हू तो साक्षी ने उत्तर दिया वह नहीं जानता है ।

7. ट्रायल जज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धारा 302, 498 ए के तहत भी आरोप को बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं।अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे

दोषसिद्धि साबीत कया दोषसिद्धि के फैसले से व्यथित होकर अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

8. उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जिन आधारों पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने सुनवाई की रिकॉर्डिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया प्रारंभिक प्रश्नों के बाद पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 का साक्ष्य उन्हें दिया गया गलत थे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एक ओर निचली अदालत ने दो बाल गवाहों के बयानों को स्वीकार किया था जो दंड संहिता 1973[3] की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए थे, फिर भी विचारण न्यायाधीश ने बाल गवाहों के साक्ष्य को इस आधार पर दर्ज करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि वे उस व्यक्ति की पहचान करने में असमर्थ थे जिसके सामने वे गवाही दे रहे थे। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया और पी. डब्ल्यू.–3 और पी. डब्ल्यू.–4 की गवाही देने की क्षमता का निष्पक्ष रूप से पता लगाने के बाद उनकी जांच करने के निर्देश के साथ मामले को निचली अदालत में भेज दिया। उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया है कि उसके बाद विचारण न्यायालय अभियुक्त को खंडन में साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करेगा।

9. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ए सेल्विन राजा ने प्रस्तुत किया किः

(i) 18 जनवरी 2014 को हुई घटना के बाद, अपीलार्थी 20 जनवरी 2014 को आत्मसमर्पण किया;

(ii) हालांकि 19 जनवरी 2014 और 21 जनवरी 2014 के बीच, जांच अधिकारी ने 21 बयान दर्ज किए, लेकिन सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बाल गवाहों के बयान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 10 मार्च 2014 को देर से दर्ज किए गए।

(iii) 19 मई 2015 को विचारण न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किए जाने के बाद कि दो बाल गवाह गवाही देने में अक्षम थे, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई पुनरीक्षण दायर नहीं किया गया था; और (iv) घटना की तारीख को पांच साल से अधिक समय बीत चुका है और दो गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने का निर्देश अभियुक्त–विशेष रूप से अपीलार्थी के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा क्योंकि बच्चे अपनी दादी माता की अभिरक्षा में रहे हैं।

उपरोक्त आधारों पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय की ओर से रिमांड का आदेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि यह उचित और उचित होगा यदि उच्च न्यायालय को अभियुक्त–अपीलार्थी द्वारा दायर अपील का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जाता है।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि उसे उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा करने का अवसर मिलता है, तो अपीलकर्ता यह स्थापित करने में सक्षम होगा कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष बरी करने के लिए दबाव डालने का हकदार होगा।

---

3 द.प्र.संहिता

10. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए, श्री एम. योगेश कन्ना, विद्वान वकील राज्य की ओर से उपस्थित हुए। राज्य की ओर से प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत करना इस परिकल्पना पर आधारित है कि बाल गवाह, यदि उन्हें इस स्तर पर गवाही देने की अनुमति दी जाती है, तो वे एक लेखा आगे बढ़ा सकते हैं जो अपीलार्थी के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा। पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए थे। इसके अलावा, अपीलार्थी को गवाहों से जिरह करने का अधिकार होगा। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि न्याय की विफलता को रोकने के लिए की जानी चाहिए क्योंकि पी. डब्ल्यू.–3 और पी. डब्ल्यू.–4 की गवाही दर्ज करने की अनुमति देने से इनकार करने के कारण स्पष्ट रूप से गलत थे। इसके परिणामस्वरूप उनके साक्ष्य को छोड़कर, अभियोजन पक्ष को उन दो बच्चों के साक्ष्य को प्रस्तुत करने से अक्षम कर दिया गया है जो अपराध के स्वाभाविक गवाह थे।

11. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का आकलन करने में, हमें शुरू में उन आधारों के लिए विज्ञापन देना चाहिए जो परीक्षण न्यायाधीश के साथ आने में वजन रखते हैंयह निष्कर्ष निकालना कि पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 सक्षम गवाह नहीं थे और उनकी गवाही दर्ज नहीं की जानी चाहिए। अभियुक्त और मृतक की बेटी पीडब्लू–3 आठ साल की थी जबकि उनका बेटा पीडब्लू–4 छह साल का था। विचारण न्यायाधीश ने गवाहों को कुछ प्रारंभिक प्रश्नों को संबोधित किया। जिस प्रश्न ने निचली अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुँचाया कि वे दोनों गवाही देने में असमर्थ थे, वह यह था कि क्या बच्चे उस व्यक्ति को जानते थे जिससे वे पहले खड़े थे। इन प्रश्नों के उत्तर में, पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 ने कहा कि वे उस व्यक्ति से अनजान थे। विशुद्ध रूप से इस आधार पर विचारण न्यायाधीश ने पाया कि बाल गवाहों की गवाही इस मामले में अस्वीकार्य होगी। यह आधार कि गवाह न्यायाधीश और वकीलों को नहीं जानते थे।

12. हम उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि जिस कारण से निचली अदालत के न्यायाधीश ने साक्ष्य को रोकने में मदद की पी. डब्ल्यू.–3 और पी. डब्ल्यू.–4 को दर्ज किया जाना स्पष्ट रूप से गलत था और इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी। उल्लेखनीय है कि पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 दोनों अदालत में अपनी उपस्थिति के कारण से अवगत थे। उन्होंने ट्रायल जज के सामने कहा कि वे अपनी मां की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों के संबंध में सबूत देने के लिए अदालत में थे। ट्रायल जज को यह निर्धारित करने की आवश्यकता थी कि क्या बच्चे गवाही देने के लिए फिट और सक्षम मानसिक स्थिति में थे और इस अवसर पर उपस्थित होने के उद्देश्य को समझने में सक्षम थे। बाल गवाह के साक्ष्य को दर्ज करने से पहले, विचारण न्यायालय को तर्कसंगत उत्तर प्रदान करने के लिए बाल गवाह की क्षमता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक प्रश्न पूछने का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास अदालत को अनुमति देगा यह निर्धारित करें कि क्या बच्चे में अपराध की घटनाओं को याद करने और वर्णन करने के लिए बौद्धिक और संज्ञानात्मक कौशल हैं।

13. साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118[4] से संबंधित है न्यायालय के समक्ष गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता शपथअधिनियम की धारा 4[5] सभी व्यक्ति तब तक गवाही देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय यह नहीं समझता कि उन्हें दिए गए प्रश्न को समझने, या उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने से, कोमल वर्षों, अत्यधिक वृद्धावस्था, रोग, चाहे वह शरीर या मन का हो, या इसी तरह के किसी अन्य कारण से रोका गया है।

व्याख्या–एक पागल गवाही देने में अक्षम नहीं है, जब तक कि वह अपने पागलपन से उसे दिए गए प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने से नहीं रोकता है।

' खंड 4. गवाहों, दुभाषियों और न्यायाधीशों द्वारा दी जाने वाली शपथ या पुष्टि।

(1) शपथ या पुष्टि निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा की जाएगी, अर्थात्ः — (क) सभी गवाह, अर्थात, वे सभी व्यक्ति जिनकी कानूनी रूप से जांच की जा सकती है, या किसी न्यायालय या व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष गवाही दी जा सकती है, या देने की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से ऐसे व्यक्तियों की जांच करने या साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है; (ख) गवाहों को दिए गए प्रश्नों की व्याख्या करने वाले और गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य; और (ग) जूरी सदस्यः बशर्ते कि जहां गवाह बारह वर्ष से कम आयु का बच्चा है, और ऐसे गवाह की जाँच करने का अधिकार रखने वाले न्यायालय या व्यक्ति की राय है कि यद्यपि

---

4 धारा 118- कौन साक्ष्य दे सकेगा - सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित हैं।

स्पष्टीकरण–कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उनके युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो।

5 धारा 4. साक्षियों, दुभाषियों और जूरी–सदस्यों द्वारा शपय ली जाना या प्रतिज्ञान किया जाना–..

(1) निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा शप्यें ली जाएंगी या प्रतिज्ञान किए जाएंगे, अर्थात् :––(क) सब साक्षी, अर्थात् सब व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा उसके समक्ष अथवा ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा करने या साक्ष्य लेने के लिए विधि–अनुसार या पक्षकारों की सम्मति से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष विधिपूर्वक परीक्षित किए जा सकते हैं अथवा साध्य दे सकते हैं या देने के लिए अपेक्षित किए जा सकते हैं : (ब) साक्षियों से किए गए प्रश्नों और उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य के दुभाषिए: तथा. (ग) जूरी–सदस्य : परन्तु जहां साक्षी बारह वर्ष से कम आयु का बालक हो और उस न्यायालय या व्यक्ति को, जिसे उस साक्षी की परीक्षा करने का प्राधिकार हो, यह राय हो कि यद्यपि साक्षी सत्य बोलने के कर्तव्य को समझता है किन्तु वह शपथ या प्रतिज्ञान की प्रकृति को नहीं समझता वहां इस धारा के पूर्वगामी उपबन्ध और धारा 5 के उपबन्ध उस साक्षी को लागू नहीं होंगे ; किन्तु ऐसे किसी मामले में शपथ या अतिज्ञान का अभाव न तो किसी ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य को अग्राह्य बनाएगा और न उस साक्षी की सत्य कथन करने की बाध्यता पर प्रभाव डालेगा।

(2) इस धारा की कोई बात किसी दाण्डिक कार्यवाही में अभियुक्त व्यक्ति को शपथ दिलाना या प्रतिज्ञान कराना तब के सिवाय विधिपूर्ण नहीं करेगी जब उसकी परीक्षा प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षी के रूप में की जाए और न वह किसी न्यायालय के शासकीय दुभाषिए के अपने पद के कर्तव्यों का निष्पादन आरम्भ कर चुकने के पश्चात् उसे यह शपथ दिलाना यथा प्रतिज्ञान कराना कि वह उन कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करेगा, आवश्यक बनाएगी।

गवाह सच बोलने के कर्तव्य को समझता है, लेकिन वह शपथ या प्रतिज्ञान की प्रकृति को नहीं समझता है, इस धारा के पूर्वगामी प्रावधान और धारा 5 के प्रावधान ऐसे गवाह पर लागू नहीं होंगे; लेकिन ऐसे किसी भी मामले में शपथ या प्रतिज्ञान की अनुपस्थिति ऐसे गवाह द्वारा दिए गए किसी भी साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी और न ही सत्य बताने के लिए गवाह के दायित्व को प्रभावित करेगी।

शपथ अधिनियम 1969 में सभी गवाहों से बारह वर्ष से कम आयु के बाल गवाहों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान लेने की अपेक्षा की गई है।अतः, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वर्ष से कम आयु का बाल गवाह एक सक्षम गवाह है, तो ऐसे गवाह से पूछताछ की जा सकती है।शपथ या पुष्टि करें। यह **नियम दत्तू रामराव साख्रेरें v महाराष्ट्र राज्य**[6] में कहा गया था। ", जहाँ यह न्यायालय बाल गवाह के संबंध में है। इस प्रकार आयोजितः

" 5. ..... एक बाल गवाह यदि तथ्यों को गवाही देने के लिए सक्षम पाया जाता है और ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार हो सकता है। दूसरे शब्दों में, शपथ के अभाव में भी बाल गवाह के साक्ष्य पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा गवाह प्रश्नों को समझने में सक्षम हो और उसके तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम हो। एक बच्चे का प्रमाण गवाह और उसकी विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। बाल गवाह के साक्ष्य का आकलन करते समय अदालत को केवल एक ही सावधानी बरतनी चाहिए कि गवाह विश्वसनीय होना चाहिए और उसका व्यवहार किसी अन्य सक्षम गवाह की तरह होना चाहिए और इसकी कोई संभावना नहीं है की सिखाया जा रहा है "।

14. एक बच्चे को पहले एक सक्षम गवाह होना चाहिए, तभी उसे स्वीकार किया जा सकता है। यह नियम अमेरिका के एक फैसले में निर्धारित किया गया था। व्हीलर बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका[7] में न्यायालय, जिसमें यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" ..... जबकि कोई भी गवाह के रूप में शिशु को बुलाने के बारे में नहीं सोचेगा

केवल दो या तीन साल की उम्र, कोई सटीक उम्र नहीं है जो योग्यता के प्रश्न को निर्धारित करता है। यह बच्चे की क्षमता और बुद्धिमत्ता, उसकी सराहना पर निर्भर करता है। सत्य और असत्य के बीच का अंतर, साथ ही पूर्व को बताना उसका कर्तव्य है। इस प्रश्न का निर्णय मुख्य रूप से परीक्षण न्यायाधीश के पास रहता है, जो प्रस्तावित को देखता है गवाह, उसके तरीके, उसके स्पष्ट अधिकार या कमी को नोटिस करता है बुद्धि का, और किसी भी परीक्षा का सहारा ले सकता है जो अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता का खुलासा करने के साथ–साथ शपथ के दायित्वों की उनकी समझ। इनमें से कई इन मामलों को निर्णय के

---

6 (1997) 5 एस. सी. सी. 341

7 159 यू एस 523 (1895)

अभिलेख में नहीं डाला जा सकता है। विचारण न्यायाधीश को समीक्षा पर तब तक परेशान नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे जिसे संरक्षित किया गया है, यह स्पष्ट है कि यह गलत था।

(जोर दिया गया)

रतनसिंह दलसुखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य[8] में, यह न्यायालय इस प्रकार निर्धारित किया गयाः

> " 7. ..... इस सवाल पर निर्णय कि क्या बच्चा विचारण न्यायाधीश जो उसके व्यवहार, उसके प्रत्यक्ष व्यवहार पर ध्यान देता है अधिकार या खुफिया जानकारी की कमी, और उक्त न्यायाधीश कर सकते हैं किसी भी परीक्षा का सहारा लें जो उसका खुलासा करने की प्रवृत्ति रखता है क्षमता और बुद्धि के साथ–साथ उनकी समझ शपथ का दायित्व। निचली अदालत का फैसला हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा परेशान किया जा सकता है यदि किससे अभिलेखों में संरक्षित है, यह स्पष्ट है कि उसका निष्कर्ष गलत था। यह सावधानी आवश्यक है क्योंकि बच्चा बनाओ–विश्वास करो। हालाँकि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि बच्चा गवाह खतरनाक गवाह होते हैं क्योंकि वे लचीले और उत्तरदायी होते हैं आसानी से प्रभावित, आकार और ढाला जा सकता है, लेकिन यह भी एक मान लिया कि यदि उनके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि इसमें सच्चाई का प्रभाव हैयह, एक बाल गवाह के साक्ष्य को स्वीकार करने के तरीके में कोई बाधा नहीं है"।
>
> (जोर दिया गया)

15. बाल गवाह की योग्यता निर्धारित करने के लिए, न्यायाधीश को अपनी राय बनानी होती है। न्यायाधीश एक बाल गवाह की क्षमता का परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है और बुद्धि और ज्ञान की डिग्री के बारे में कोई सटीक नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जो बच्चे को एक सक्षम गवाह प्रदान करेगा। बाल गवाह की योग्यता का पता लगाया जा सकता है। साक्षी घटना को समझने और अदालत के समक्ष सच बोलने की क्षमता का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ करके। आपराधिक कार्यवाही में, किसी भी उम्र का व्यक्ति साक्ष्य देने में सक्षम है यदि वह (i) गवाह के रूप में रखे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है; और (ii) ऐसा देने में सक्षम है। प्रश्नों को समझें और उनका सुसंगत और समझने योग्य तरीके से उत्तर दे यदि बच्चा पूछे गए प्रश्नों को समझता है उसे/उसे और उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देता है, यह माना जा सकता है कि वह जांच के लिए एक सक्षम गवाह है। [9] s////

A child becomes incompetent only in case the court considers that the child was unable to understand the questions and answer them in a coherent and

---

8 (2004) 1 एससीसी 64। इसके बाद, निवृति पांडुरंग कोकाटे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 12 एस. सी. सी. 565 में भरोसा किया गया।

9 दलसुखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य (2004) 1 एस. सी. सी. 64

comprehensible manner.10 [10] If the child understands the questions put to her/him and gives rational answers to those questions, it can be taken that she/he is a competent witness to be examined.

16. हम संतुष्ट हैं कि जिन आधारों के साथ वजन किया गया विद्वत विचारण न्यायाधीश गलत थे। इन परिस्थितियों में, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित था कि पीडब्लू–3 और पीडब्लू–4 की गवाही की गैर–रिकॉर्डिंग एक स्पष्ट कारण के कारण थी विद्वत विचारण न्यायाधीश की ओर से गलत दृष्टिकोण।

17. हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि उच्च का निर्णय ण्ण्ण्ण् 374[11] दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 दोषसिद्धि या दोषमुक्त किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील का निपटारा करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों को परिभाषित करती है। इस धारा के तहत शक्ति असीमित नहीं है। इस प्रावधान को केवल वही करने की शक्ति देने के रूप में लिया जाना चाहिए जो निचली अदालत एक आपराधिक मामले में कर सकती थी और करना चाहिए था।

18. सी. आर. पी. सी. की धारा 386 (बी) के तहत पुनर्विचार का आदेश देने के लिए अपीलीय न्यायालय की शक्तियों पर विचार करते हुए मोहम्मद हुसैन बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) 1 3 मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गयाः

---

10 सरकार, "Law of Evidence" 19th Edition, Volume 2, Lexis Nexis, p. 2678 citing DPP v M (1977) 2 All ER 749 (QBD)

11 " धारा 374। – दोषसिद्धि से अपील (1) कोई भी व्यक्ति जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपने असाधारण मूल आपराधिक अधिकार क्षेत्र में आयोजित मुकदमे में दोषी ठहराया गया है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। (2) सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा आयोजित मुकदमे या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आयोजित मुकदमे में दोषी ठहराया गया कोई भी व्यक्ति जिसमें उसके खिलाफ सात साल से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है या उसी मुकदमे में दोषी ठहराए गए किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
(3) उप–धारा (2) में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति, (क) महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सत्र न्यायाधीश या प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित मुकदमे में दोषी ठहराया गया, या (ग) जिनके संबंध में आदेश दिया गया है। (ख) धारा 325 के अधीन दण्डादेशित, या या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 360 के तहत सजा सुनाई गई है, तो वह सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है।
(4) जब भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 एबी, धारा 376 बी, धारा 376 सी, धारा 376 डी, धारा 376 डीबी या धारा 376 ई (1860 का 45) के तहत पारित सजा के खिलाफ अपील दायर की गई है, तो ऐसी अपील दायर करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा।

" 41. दोषसिद्धि के निर्णय से आपराधिक अपील की सुनवाई करने वाली अपीलीय अदालत के पास अभियुक्त के खिलाफ पुनः मुकदमे का आदेश देने की शक्ति है।

12 धारा 386। – अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ –ऐसे अभिलेख का अवलोकन करने और अपीलार्थी या उसके वकील की सुनवाई करने के बाद, यदि वह उपस्थित होता है, और लोक अभियोजक, यदि वह उपस्थित होता है, और धारा 377 या धारा 378 के तहत अपील के मामले में, यदि आरोपी उपस्थित होता है, तो अपीलीय न्यायालय, यदि यह मानता है कि हस्तक्षेप करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो अपील को खारिज कर सकता है, या अपील को खारिज कर सकता है अथवा –

(क) बरी किए जाने के आदेश की अपील में, ऐसे आदेश को उलट दें और निर्देश दें कि आगे की जांच की जाए, या आरोपी पर फिर से मुकदमा चलाया जाए या मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया जाए, जैसा भी मामला हो, या उसे दोषी पाया जाए और उसे कानून के अनुसार सजा सुनाई जाए;

(ख) दोषसिद्धि की अपील में

(i) निष्कर्ष और सजा को उलट दें और अभियुक्त को बरी या आरोपमुक्त कर दें, या उसे ऐसे अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दें या मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबद्ध हों, या

((ii) निष्कर्ष में परिवर्तन करना, वाक्य को बनाए रखना, या

(iii) निष्कर्ष के साथ या उसके बिना, वाक्य की प्रकृति या सीमा, या प्रकृति और विस्तार में परिवर्तन करना, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए नहीं;

(ग) सजा बढ़ाने की अपील में

(i) निष्कर्ष और सजा को उलट दें और आरोपी को बरी या आरोपमुक्त कर दें या उसे अपराध का मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अदालत द्वारा फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दें, या

((ग) निष्कर्ष के साथ या उसमें परिवर्तन किए बिना, वाक्य की प्रकृति या विस्तार, या प्रकृति और विस्तार में परिवर्तन करें, ताकि उसे बढ़ाया या घटाया जा सके। (घ) किसी अन्य आदेश की अपील में, ऐसे आदेश को परिवर्तित या उलट दें;

बशर्ते कि सजा तब तक नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर न मिला होः बशर्ते कि अपीलीय न्यायालय उस अपराध के लिए उससे अधिक सजा नहीं देगा जो उसकी राय में अभियुक्त ने किया है, जो उस अपराध के लिए अपील के तहत आदेश या सजा पारित करने वाले न्यायालय द्वारा दी गई हो सकती है।

संहिता की धारा 386। यह नंगी भाषा से स्पष्ट है धारा 386 (बी)। यद्यपि ऐसी शक्ति मौजूद है, यह नहीं होना चाहिए

नियमित रूप से व्यायाम करें। एक नए सिरे से परीक्षण या पुनः परीक्षण

अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय द्वारा असाधारण रूप से आदेश दिया जाना चाहिए।

और दुर्लभ मामले और केवल तभी जब अपीलीय न्यायालय की राय में

न्याय की विफलता को रोकने के लिए ऐसा मार्ग अपरिहार्य हो जाता है।

इसके मामले में सुधार करें या कमी को भरें। पुनरीक्षण नहीं है दूसरा परीक्षण; यह उसी परीक्षण की निरंतरता है और वही

अभियोजन। पुनः विचारण के लिए मार्गदर्शक कारक हमेशा मांग होना चाहिए।

न्याय की। जाहिर है, धारा के तहत पुनः मुकदमे की शक्ति का प्रयोग

386 (ख) संहिता तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। प्रत्येक मामले के लिए जिसके लिए कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र तैयार नहीं किया जा सकता है

लेकिन अपील अदालत को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बचाव करते हुए अभियुक्त का निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया का अधिकार, जनता

समाज के हितों की पूरी तरह से अनदेखी नहीं की जाती है। अजय कुमार बनाम बिहार राज्य 1 4, के मामले में भी इसी तरह की स्थिति इस अदालत ने अपनाई थी।, जहाँ यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

11 सी. आर. पी. सी., 386 (b)(1) इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग केवल अपवादात्मक मामलों में, जहां अपीलीय न्यायालय का समाधान होता है कि चूक या अनियमितता न्याय की विफलता का कारण बनी है। पुनः विचारण के लिए जो परिस्थितियाँ होनी चाहिए, वे अवश्य होनी चाहिए। जहाँ न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया हो कोई अधिकार क्षेत्र या मुकदमा गंभीर अवैधता या अनियमितता से दूषित नहीं हुआ था कार्यवाहियों की प्रकृति की गलत धारणा के कारण। अ. पुनः विचारण के लिए आदेश उन मामलों में पारित किया जा सकता है जहां मूल मुकदमा कुछ विशेष कारणों से संतोषजनक नहीं रहा है। जैसे कि गलत स्वीकार या सबूतों की गलत अस्वीकृति या अदालत ने कुछ गवाहों को सुनने से इनकार कर दिया जो थे सुनी जानी चाहिए। "

(जोर दिया गया)

19. एक अपीलीय न्यायालय की पुनः विचारण का आदेश देने की शक्तिगवाहों के बयानों को फिर से दर्ज करने का बिंदु हाल ही में था आत्म राम और ओआरएस बनाअदरम राजस्थान राज्य 1 5 में लिखा

गया है, जहाँ निचली अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को धारा के तहत अपराधों का दोषी ठहराया था आई. पी. सी. की धारा 302 , 307 , 452 , 447 , 323 , 147 , 148 और धारा 149 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान अदालत ने अभियुक्त व्यक्तियों की अनुपस्थिति में बारह गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए थे। के खिलाफ अपील में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दी गई दोषसिद्धि के बाद, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 (बी) के तहत निचली अदालत के फैसले को रद्द करने और खारिज करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और मामले को अदालत में अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद बारह गवाहों के बयान नए सिरे से दर्ज करने की सीमा तक निचली अदालत को वापस भेज दिया। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों में अभिनिर्धारित कियाः " ऊपर की गई चर्चा और मामले के स्पष्ट तथ्यों को देखते हुए, हम महसूस करते हैं कि ऐसा करने के लिए

अभियुक्त के साथ–साथ पीड़ितों को भी पूर्ण न्याय, विचारण न्यायाधीश या संबंधित जेल अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों के कारण कार्यवाही को दूषित करने के लिए पूरे मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है। निचली अदालत को ऊपर बताए गए गवाहों के बयान कानूनी रूप से फिर से दर्ज करने का निर्देश देकर एक नए सिरे से मुकदमे का आदेश दिया जाना चाहिए, जिनके साक्ष्य मामले में दर्ज किए गए थे। अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना पहला दौर अदालत। ” व्यक्तियों ने गवाहों के बयानों को फिर से दर्ज करने के लिए उच्च न्यायालय के नए सिरे से सुनवाई के आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 22. ..... धारा 386 तब अपीलीय शक्तियों की गणना करती है। जिस न्यायालय में अन्य बातों के साथ–साथ "निष्कर्ष और सजा को उलटने और अभियुक्त को बरी करने या आरोपमुक्त करने, या उस पर ऐसे अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा फिर से मुकदमा चलाने का आदेश देने या मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध होने" की शक्ति शामिल है। अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ समान रूप से व्यापक हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालय मामला अध्याय XXVIII और दोनों के तहत शक्तियों का प्रयोग कर रहा था कोड का XXIX। अगर शक्ति इस हद तक जा सकती है कि एक पूर्ण पुनः परीक्षण का आदेश, एक को शक्ति का प्रयोग कम सीमा तक अर्थात् नए सिरे से परीक्षा का आदेश देना उच्च न्यायालय के रूप में आगे के निर्देशों के साथ बारह गवाह वर्तमान मामले में लगाया गया है, निश्चित रूप से इसके भीतर था उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। इस प्रकार कोई उल्लंघन नहीं है या उच्च न्यायालय की ओर से क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि "।

" 25 ..... यदि कोई उल्लंघन हुआ था, जो अन्यथा दूषित नहीं होता है मुकदमा अपने आप में, प्रयास स्थिति को सुधारने के लिए होना चाहिए जहाँ तक संभव हो, ताकि अभियुक्त के हितों के साथ–साथ सामाजिक हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जाती है। बिलकुल वैसा ही गवाहों से नए सिरे से पूछताछ करने का निर्देश दिया गया था अधीन और एक ही समय में आरोपी के पास होगा हर गवाहों को गवाही देते देखने का अधिकार और अवसर उनके खिलाफ, उनके व्यवहार को देखें और उन्हें ठीक से परामर्श दें ताकि कथित गवाह प्रभावी ढंग से हो सकें क्रॉस–जाँच की गई। इस प्रक्रिया में, अभियुक्त का हित यह

भी संरक्षित रहेगा। दूसरी ओर, अगर हम इस निवेदन को स्वीकार करें कि कार्यवाही दूषित हो गई थी और,इसलिए, उच्च न्यायालय नए सिरे से आदेश देने में असमर्थ था संबंधित गवाहों की जांच, इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। जिन व्यक्तियों पर अपराध करने का आरोप है चार हत्याओं पर प्रभावी ढंग से मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। खिलाफ सबूत उन्हें एक तकनीकी उल्लंघन के लिए नहीं पढ़ा जाएगा जिसके परिणामस्वरूप बहुत अच्छा होगा उच्च न्यायालय पूरी तरह से यह सुनिश्चित करता है कि एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए और गवाहों के बयान, से उचित आसवन के बाद उनकी प्रतिपरीक्षा को साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है।

(जोर दिया गया)

20. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने विचार किए गए अभ्यास में अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार ने दो बाल गवाहों की क्षमता का निष्पक्ष रूप से आकलन करने और यदि साक्ष्य दर्ज किया जाता है, तो अभियुक्त को खंडन में साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करने के लिए कार्यवाही को वापस विचारण न्यायालय को भेज दिया है। अभियुक्तों को उनसे जिरह करने का भी अधिकार होगा। हमने अपीलार्थी की ओर से इस तथ्य के संबंध में की गई दलीलों पर उचित ध्यान दिया है कि कुछ समय बीत गया है। आज की तारीख में, हालांकि ट्रायल जज द्वारा उनके साक्ष्य को हटाए जाने के बाद से चार साल से थोड़ा अधिक समय बीत चुका है, दोनों गवाह अभी भी नाबालिग हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायाधीश को अपने साक्ष्य दर्ज करने से पहले दो बाल गवाहों की क्षमता का निष्पक्ष रूप से आकलन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

21 इस एतद द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप महाराष्ट्र राज्य बनाम बंदू उर्फ दौलत 1 7 विद्वत विचारण न्यायाधीश के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि1 पीडब्लू–4 को बच्चों के अनुकूल वातावरण में दर्ज किया जाता है।अपीलार्थी को निस्संदेह जिरह करने का अधिकार होगा। एक बार जब उनका साक्ष्य परीक्षण न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया जाता है। उपरोक्त कारणों से, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार अपील को खारिज करते हैं। लंबित आवेदन (यदि कोई हों), तो लागू रहेंगे।

याचिका खारिज

**Translated and vetted by Jitendra Thakur ADJ, Chhattisgarh.